

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 21/2015- सीमा शुल्क (गै.टे)

नई दिल्ली, दिनांक 10 फरवरी, 2015

सा.का.नि. 82 (अ), सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), की धारा 75 की उपधारा (2), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1), की धारा 37 की उपधारा (2) और वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 93क जो कि सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर प्रतिअदायगी नियमावली, 1995 के नियम 3 और 4 के साथ पठित है, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा, सा.का.नि. 814 (अ), दिनांक 17 नवम्बर, 2014 के तहत प्रकाशित, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 110/2014 - सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 17 नवम्बर, 2014, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, -

(i) अध्याय 42 में, -

- (क) टैरिफ मद 420199 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "प्रति नग" प्रतिस्थापित की जाएगी;
- (ख) टैरिफ मद 420199 के समक्ष, कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "7%" प्रतिस्थापित की जाएगी;
- (ग) टैरिफ मद 420199 के समक्ष, कॉलम (5) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "119" प्रतिस्थापित की जाएगी;
- (घ) टैरिफ मद 420199 के समक्ष, कॉलम (7) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "32.3" प्रतिस्थापित की जाएगी;
- (ङ.) टैरिफ मद 42020301 के समक्ष, कॉलम (5) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "70" प्रतिस्थापित की जाएगी;
- (च) टैरिफ मद 42020301 के समक्ष, कॉलम (7) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "17.3" प्रतिस्थापित की जाएगी;
- (छ) टैरिफ मद 42020401 के समक्ष, कॉलम (5) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "70" प्रतिस्थापित की जाएगी;
- (ज) टैरिफ मद 42020401 के समक्ष, कॉलम (7) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "17.3" प्रतिस्थापित की जाएगी;
- (झ) टैरिफ मद 420301 के समक्ष, कॉलम (5) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "820" प्रतिस्थापित की जाएगी;
- (ञ) टैरिफ मद 420301 के समक्ष, कॉलम (7) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "164" प्रतिस्थापित की जाएगी;
- (ट) टैरिफ मद 420599 के समक्ष, कॉलम (5) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "99.4" प्रतिस्थापित की जाएगी;
- (ठ) टैरिफ मद 420599 के समक्ष, कॉलम (7) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "37.8" प्रतिस्थापित की जाएगी;
- (ड) टैरिफ मद 430301 के समक्ष, कॉलम (5) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "820" प्रतिस्थापित की जाएगी;
- (ढ) टैरिफ मद 430301 के समक्ष, कॉलम (7) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "164" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ii) अध्याय 48 में,-

- (क) टैरिफ मद 482306 के समक्ष, कॉलम (5) की प्रविष्टि के स्थान पर "28.4", प्रतिस्थापित की जाएगी;
- (ख) टैरिफ मद 482306 के समक्ष, कॉलम (7) की प्रविष्टि के स्थान पर "8.6", प्रतिस्थापित की जाएगी;

(iii) अध्याय 57 में,-

- (क) टैरिफ मद 570204 के समक्ष, कॉलम (5) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "77.9" प्रतिस्थापित की जाएगी;
- (ख) टैरिफ मद 570204 के समक्ष, कॉलम (7) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "17.3" प्रतिस्थापित की जाएगी;
- (ग) टैरिफ मद 570301 के समक्ष, कॉलम (5) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "326.4" प्रतिस्थापित की जाएगी;
- (घ) टैरिफ मद 570301 के समक्ष, कॉलम (7) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "127.9" प्रतिस्थापित की जाएगी;
- (ङ.) टैरिफ मद 570304 के समक्ष, कॉलम (5) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "77.9" प्रतिस्थापित की जाएगी;
- (च) टैरिफ मद 570304 के समक्ष, कॉलम (7) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "17.3" प्रतिस्थापित की जाएगी;
- (छ) टैरिफ मद 570501 के समक्ष, कॉलम (5) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "77.9" प्रतिस्थापित की जाएगी;
- (ज) टैरिफ मद 570501 के समक्ष, कॉलम (7) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "17.3" प्रतिस्थापित की जाएगी;
- (झ) टैरिफ मद 570503 के समक्ष, कॉलम (5) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "88.7" प्रतिस्थापित की जाएगी;
- (ञ) टैरिफ मद 570503 के समक्ष, कॉलम (7) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "18.3" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(iv) अध्याय 61 में, टैरिफ मद 61140406 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, यथा:-

"61140407	औद्योगिक बॉयलर सूट सहित सुरक्षात्मक औद्योगिक वस्त्र	नग	7.5%	75	1.7%	17";
-----------	---	----	------	----	------	------

(v) अध्याय 62 में, टैरिफ मद 62110407 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, यथा:-

"62110408	औद्योगिक बॉयलर सूट सहित सुरक्षात्मक औद्योगिक वस्त्र	नग	7.5%	75	1.7%	17";
-----------	---	----	------	----	------	------

(vi) अध्याय 64 में, टैरिफ मद 640617 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित टैरिफ मदें और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, यथा:-

"640618	चमड़े के गैटर्स या चेप्स	जोड़ा	6.9%	42	1.9%	11.6
640619	सिंथेटिक गैटर्स या चेप्स	जोड़ा	6%	31	1.9%	9.8";

(vii) अध्याय 73 में,-

- (क) टैरिफ मद 7308 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "कि.ग्रा." अंतःस्थापित की जाएगी;
- (ख) टैरिफ मद 7308 के समक्ष, कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "7%" प्रतिस्थापित की जाएगी;
- (ग) टैरिफ मद 7308 के समक्ष, कॉलम (5) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "16.5" अंतःस्थापित की जाएगी;
- (घ) टैरिफ मद 7308 के समक्ष, कॉलम (7) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "4.5" अंतःस्थापित की जाएगी;
- (ङ.) टैरिफ मद 732301 के समक्ष, कॉलम (5) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "32" प्रतिस्थापित की जाएगी;
- (च) टैरिफ मद 732301 के समक्ष, कॉलम (7) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "6.8" प्रतिस्थापित की जाएगी;
- (छ) टैरिफ मद 732302 के समक्ष, कॉलम (5) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "32" प्रतिस्थापित की जाएगी;
- (ज) टैरिफ मद 732302 के समक्ष, कॉलम (7) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "6.8" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(viii) अध्याय 82 में,-

(क) टैरिफ मद 8207 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित टैरिफ मदें और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएगी, यथा:-

"8207	हाथ के औजारों के लिए, चाहे विद्युत चालित है या नहीं या मशीन औजारों के लिए (उदाहरणार्थ निपीडन, स्टाम्पन, छिद्रण, ट्रैपन, चूड़ी बनाने, प्रबोधन, वेधन, ब्रोचन, भ्रमी कर्तन, खरादन या पेच कसने के लिए) अंतर परिवर्तनीय औजार चाहे उसके अंतर्गत धातु कर्ण या उत्सारण के लिए रूपदा है और शैल प्रबोधन या भूवेधन औजार					
820701	ठोस टंगस्टन कार्बाइड ब्लैंक्स या राइस से बने पीसीबी ड्रिल		1.9%		1.9%	
820799	अन्य	कि.ग्रा.	7.4%	30	1.9%	7.7";

(ख) टैरिफ मद 821401 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित टैरिफ मदें और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएगी, यथा:-

"821401	स्टेनलैस स्टील के	कि.ग्रा.	9%	32	1.9%	6.8
821402	स्टेनलैस स्टील के जिसमें निकल का अवयव 8 प्रतिशत या अधिक हो	कि.ग्रा.	9%	63	1.9%	13.3";

(ग) टैरिफ मद 821501 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित टैरिफ मदें और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएगी, यथा:-

"821501	स्टेनलैस स्टील के	कि.ग्रा.	9%	32	1.9%	6.8
821502	स्टेनलैस स्टील के जिसमें निकल का अवयव 8 प्रतिशत या अधिक हो	कि.ग्रा.	9%	63	1.9%	13.3";

(ix) अध्याय 84 में,-

(क) टैरिफ मद 8433 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "कि.ग्रा." अंतःस्थापित की जाएगी;

(ख) टैरिफ मद 8433 के समक्ष, कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "7%" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ग) टैरिफ मद 8433 के समक्ष, कॉलम (5) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "14" अंतःस्थापित की जाएगी;

(घ) टैरिफ मद 8433 के समक्ष, कॉलम (7) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "3.8" अंतःस्थापित की जाएगी;

(x) अध्याय 90 में,-

- (क) टैरिफ मद 900101 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि विलोपित की जाएगी;
(ख) टैरिफ मद 900101 के समक्ष, कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "1%" प्रतिस्थापित की जाएगी;
(ग) टैरिफ मद 900101 के समक्ष, कॉलम (5) की प्रविष्टि विलोपित की जाएगी;
(घ) टैरिफ मद 900101 के समक्ष, कॉलम (6) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "1%" प्रतिस्थापित की जाएगी;
(ङ.) टैरिफ मद 900101 के समक्ष, कॉलम (7) की प्रविष्टि विलोपित की जाएगी;

(xi) अध्याय 95 में,-

- (क) टैरिफ मद 950604 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "पोलियुरेथेन को छोड़कर, प्रमुख रूप से सिंथेटिक पदार्थ से बनाई गई हवा भरने वाली बालें" प्रतिस्थापित की जाएगी;
(ख) टैरिफ मद 950610 के समक्ष, कॉलम (5) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "68" प्रतिस्थापित की जाएगी;
(ग) टैरिफ मद 950610 के समक्ष, कॉलम (7) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "20" प्रतिस्थापित की जाएगी;
(घ) टैरिफ मद 950611 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित टैरिफ मदें और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, यथा:-

"950612	रबड़ ब्लैडर	नग	8.8%	5.3	1.9%	1.1
950613	शोल्डर या शिडन गार्ड	नग	8.8%	14.3	1.9%	3.1
950614	लकड़ी के राउंडर्स बैट	नग	8.8%	26.7	1.9%	5.8"

2. यह अधिसूचना 13 फरवरी, 2015 से लागू होगी ।

[फा.सं. 609/107/2014- डीबीके]

(संजय कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पणी : प्रधान अधिसूचना सं. 110/2014- सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 17 नवम्बर, 2014, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. 814 (अ) दिनांक 17 नवम्बर, 2014, के अंतर्गत प्रकाशित की गई थी।